बिहार विधान सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि ९ मई, १९५१

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ९ मई, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

माननीय अध्यक्ष—आज के सभी अल्प-सूचना प्रश्न माननीय राजस्व मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के नाम से हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने मुझे तार द्वारा सूचित किया है कि वे समय पर न आ सकेंगे और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की है कि उनके सभी प्रश्न आज स्थगित कर दिये जायें। मैं उनके सभी अल्पसूचना तथा साधारण प्रश्नों को कल के लिए स्थगित कर देता हूं।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

STARRED QUESTIONS AHD ANSWERS.

SECRET OF RICE.

A *115. **Shri RAJKISHORE SINGH**: Will the Hon'ble the Minister in charge of the Supply and Price Control Department be pleased to state—

(*a*) whether the attention of the Government has been drawn to an article published in a weekly paper of Ranchi, dated the 25th July, 1950 at page 3 under the caption—

"सरकारी रुपए से गुलछर्रें, मानभूम का एक कलुषित प्रकरण, चावल का भीतरी रहस्य";

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, the action Government have taken in this matter?

Hon'ble Shri JAGLAL CHAUDHURY: (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) The facts have not been correctly reported. Advance was paid to the purchasing agents against purchase reports after necessary verification. This verification could not naturally be infallible. To ensure against such errors security deposits had been taken from purchasing agents. At the time of making despatches shortages were found, which have all been made up by the agents, except a quantity of about 5,000 maunds of rice, which is still outstanding. The licenses of the purchasing agents concerned have been cancelled,

A—Postponed from the 23rd January and 27th April 1951 (as a special case).

माननीय श्री अब्दुल क्यूम अन्सारी—जनाब स्पीकर साहब, बहस के दौरान में आज हाउस में कहा गया है कि इस रिजोल्युशन को आज पोस्टपॉन कर दिया जाय और कल लिया जाय। गवर्नमेंट को इसको मानने में उज्र नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

इस संकल्प पर जो बहस सदन में जारी है उसको आज स्थगित कर दिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधान कार्य :

LEGISLATIVE BUSINESS :

सरकारी विधेयक :

OFFICIAL BILL :

माननीय अध्यक्ष—२५ अप्रिल को इटकी सेनेटोरियम बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात चलरही थी, किन्तु बाद में इस बिल पर विचार स्थगित कर दिया गया। आज इस बिल पर फिर विचार जारी है और विचार का प्रस्ताव रखा जा चुका है। केवल इसपर राय ले लेनी है।

दि इटकी ट्यूबरकिउलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ओफ बिलडिंग्स) बिल, १९५१ (१९५१ की वि० स० १४)—क्रमश:

THE ITKI TUBERCULOSIS SANATORIUM (REGULATION OF BUILDINGS) BILL, 1951 (BILL NO 14 OF 1951)—*contd.*

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

दि इटकी ट्यूबर क्यूलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स) बिल, १९५१ (१९५१ वि० सं० १४) पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष—खंड २।

Shri SAIYID AMIN AHMAD: I beg to move :

That in item (*a*) of clause 2 after the words "and every part thereof and" the words " for the purposes of section 12 of this Act", be *inserted*.

जनाब सदर ! सब-क्लाज (२), आइटम (ए) बिल्डिंग्स से सरोकार रखता है। बिल्डिंग्स का डेफिनिशन मेरे दोस्त ने दिया है :

"Building" means any house, hut, shed or other roofed structure, for whatsoever purpose and of whatsoever material constructed and every part thereof and includes a tent, or other portable and merely temporary shelter, "

हुकूमत ने कहा था कि लाइसेंसिंग के लिए जरूरत इस बात की है कि टेंट को भी शामिल किया जाय। लाइसेंस का जहां तक सरोकार है वह सेक्सन १२ में है। इसलिए हमने अमेंडमेंट में साफ कर दिया है। हमारे अमेंडमेंट को मानने के बाद आइटेम (ए०) इस तरह हो जायेगा :

"Building" means any house, hut, shed or other roofed structure for whatsoever purpose and of whatsoever material constructed for the purpose of section 12 of this Act and includes a tent, or other portable and merely temporary shelter.

जहां तक लाइसेंस देने का सरोकार है वह आ जाता है, लेकिन रिपेअर करना, इरेक्ट करना, री-इरेक्ट करना, वहां पर टेंट्स ऐंड अदर पोर्टेबुल ऐंड मियरली टेम्पोररी शेल्टर यह सब चीजें छूट जायेंगी। इसको मान लेने में हुकूमत को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हुकूमत का जो मकसद है वह पूरा हो जाता है।

*माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—इस बिल का मतलब है कि सेनेटोरियम के आस-पास जो बिल्डिंग्स हैं उनको कन्ट्रोल किया जाय। अगर अमीन साहब का यह अमेंडमेंट मान लिया जाय तो इसका परपस डीफीट हो जायेगा। सिर्फ इतना ही नहीं लाइसेंस इसलिये है कि ट्यूबरकिउलोसिस के पेसेन्ट को रखा जाय। इसका मानी यह है कि दूसरे परपस के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन यह डेंजरस होगा कि वहां टेंट लगा कर दूसरे लोगों को लाकर रखा जाय। इसलिए पेसेंट्स के इन्टरेस्ट्स में और दूसरे लोगों के भी इन्टरेस्ट्स में यह जरूरी है कि टेंट नहीं खड़ा किया जाय। टेंट्स खड़ा करने के लिए अगर अनरेस्ट्रिक्टेड राइट दे दिया जाय तो लोग वहां आकर रहेंगे ऐंड दे वील कैच ट्यूबरकिउलोसिस। इसलिए पब्लिक हेल्थ के इन्टरेस्ट में जरूरी है कि टेन्ट्स को भी रेगुलेट किया जाय और टेन्ट्स बिना परमिसन के नहीं खड़े किए जांय। क्लॉज १२ में लाइसेंस लेना जरूरी है तो टेंट्स के लिए भी जरूरी हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष—अमीन साहब अपने संशोधन का मतलब बतावें।

श्री सैयद अमीन अहमद—मेरे संशोधन का मतलब यह है कि इस बिल में दो चीजें हैं। एक तो यह है कि कोई भी आदमी बिना इजाजत के मकान नहीं बनावे। जहां मकान बनाने का सवाल है वहां टेंट्स लगाने का सवाल नहीं है। लेकिन जहां पर लाइसेंस लेने का सवाल है वहां पर टेंट्स को बिल्डिंग्स मान लिया गया है। कोई आदमी अपने घर में टेंट लगाता है और ट्यूबरकिउलोसिस पेसेंट्स रखता है तो वह लाइसेंस ले और बिना लाइसेंस के वह नहीं रख सकता है। मुझे अफसोस है कि पंडित विनोदानन्द झा यहां नहीं हैं नहीं तो वह इसको जरूर मान लेते।

माननीय अध्यक्ष—आप जवाब दें।

*मा० मंत्री ने भाषण संशोधित नहीं किया।

श्री सैयद अमीन अहमद—सेनेटोरियम के आस-पास में चाहे परमानेंट या टेम्पोररी बिलडिंग्स हो उनके दो अबजेक्ट्स हैं। पब्लिक के इंटरेस्ट में भी यह जरूरी है कि ट्यूबरकिउलोसिस पेसेंट्स नहीं रहें।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—एक परपस यह है कि इस एरिया में टेंट लगा कर रहने से उस एरिया का हेल्थ खराब होगा और दूसरा परपस यह है कि वह दूसरों में जर्मस फैलायेगा। इसलिए टेंट के लिये भी लाइसेंस लेने की जरूरत है, नहीं तो पब्लिक हेल्थ सफर करेगा।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, जब हमारे दोस्त ने इस हाउसमें कंसिडरेशन मोशन पेश किया था उस वक्त यह बतलाया गया था कि इटकी के तीन मील के रेडियस में कितने इनहैबिटेड भीलेजेज चले आते हैं जो सैकड़ों वर्षों से आबाद हैं। अब अगर वहां के रहने वाले अपने जानवरों के लिये शेड बनाना चाहें या अपने खुद रहने के लिए बांस वगैरह काट कर टेंट खड़ा करना चाहें तो उनको इजाजत लेनी पड़ेगी। हमारे एडुकेशन मिनिस्टर साहब ने इस पर गौर नहीं किया है। यह बिल जेनरल पब्लिक हेल्थ के लिए नहीं लाया गया है। यह टी० बी० पेसेंट्स को एकोमोडेट करने के लिये लाया गया है। अगर जेनरल पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिये यह कानून बनाया गया होता तो इटकी के लिये ही कानून न बना कर दूसरे दूसरे एरिया के लिये भी बनाया जाता। इसलिए मैं कहूंगा कि इसके डिफरेंस को हमारे दोस्त समझ लें कि सेक्सन १२ में सिर्फ टी० बी० पेसेंट्स के एकोमोडेशन की बात है कि कोई आदमी बिना लाइसेंस लिए हुए टी० बी० पेसेंट को मकान में नहीं रख सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त इस पर गौर करेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर साहब यहां होते तो मेरी अपील पर इस अमेंडमेंट को जरूर मान लेते क्योंकि यह क्लॉज कंस्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—अमीन अहमद साहब क्लॉज ४, ५ और ६ को पढ़ लें। इससे साफ हो जाता है कि स्पेसीफिक परपस के लिये अगर कोई शेड या मकान बनाना चाहता है तो बना सकता है। टी० बी० को रोकने के लिये यह कानून बनाया गया है। इसलिए इसमें कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

In item (*a*) of clause 2 of the Bill after the words "and every part thereof and" the words "for the purposes of section 12 of the Act" be *inserted*.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Hon'ble THE SPEAKER: Before putting the question on clause 2 I would like to take up clause 1 because Shri Amin Ahmad has given notice of an amendment to sub-clause (*d*) of clause 2 which is dependent upon sub-clause (2) of clause 1.

Shri SAIYID AMIN AHMAD: Sir, I beg to move:

"That in sub-clause (2) of clause 1, the words "and to such area or areas as may be notified in the official Gazette, from time to time by the State Government in this behalf" be *deleted*.

जनाब सदर, बेहतर है कि गवर्नमेंट का भी अमेंडमेंट पेश हो जाय। उसके बाद दोनों पर एक साथ डिसकशन हों।

माननीय अध्यक्ष—माननीय मंत्री संशोधन उपस्थित करें।

The Hon'ble Shri **BADRI NATH VARMA**: Sir, I beg to move :

"That in sub-clause (2) of clause 1, for the words "such area or areas", the words "such other area or areas in the vicinity of the said Sanatorium" be *substituted*.

इसका मानी साफ है। लोगों का ख्याल था कि बहुत बड़ा एरिया ले लिया जायेगा इसलिये इस चीज को साफ करने के लिये यह अमेंडमेंट लाया गया है कि बहुत बड़ा एरिया नहीं लिया जायेगा बल्कि उतना ही लिया जायेगा जहां तक कंटेजिअन फैलने का डर हो।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, मुझे यह देख कर हैरत है कि गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह बिल्कुल मिनिंगलेस प्रोपोजीशन है। सब से पहले यह चीज मान ली जाती है कि इटकी सेनेटोरियम एक सेंट्रल चीज है और उसके तीन मील के रेडियस में जो एरिया है वह इस ऐक्ट के अन्दर ले लिया गया है। मैं कहता हूं कि जब तीन मील के रेडियस का एरिया पूरा ले लिया गया तो फिर इटकी सेनेटारियम के भिसिनिटी में कोई दूसरा एरिया नहीं बचेगा। इसके इलस्ट्रेशन के लिये हमने एक सर्किल बनाया है जिससे यह चीज साफ जाहिर होती है (एक कागज का नकशा दिखा कर)। इटकी सेनेटोरियम बीच में है। इसके तीन मील के रेडियस का एरिया आप ले लेते हैं तो फिर अब दूसरा एरिया बचता कहां है जो आप यह रखना चाहते हैं कि "सच अदर एरिया ऑर एरियाज इन दी भिसिनिटी ऑफ दी सेड सेनेटोरियम"। जो एरिया भिसिनिटी में था वह तो तीन मील के रेडियस में आ गया। अब उसके बाहर के एरिया को आप लेना चाहते हैं तो वह भिसिनिटी में नहीं कहा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त जिओमेट्री के इस एलिमेंटरी थियोरम को समझने की कोशिश करेंगे। भिसिनिटी का मानी यह है कि कन्टिनुएशन में होना चाहिये। जो चीज कन्टिनुएशन में है उसको आप ले सकते हैं लेकिन जो तीन मील के बाहर की चीज है उसको आप इटकी सेनेटारियम की भिसिनिटी में नहीं ले सकते हैं। यों मेरे दोस्त की खुशी है कानून पास करवालें लेकिन वह समझ लें कि इस कानून को पास करके हमलोग लाफिंग स्टॉक बन जायेंगे। मेरे दोस्त रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं उसमें जो लड़के पढ़ेंगे वे पूछेंगे कि कौन से वे लोग थे जिन्हों ने ऐसा बेमानी कानून बनाया है।

जनाब सदर मेरा पहला एतराज Government के Amendment पर यह है कि it is meaningless and it must be rejected not by the house but by the Hon'ble the Speaker because it is not clear and definite

जनाब सदर, आपको हक है कि आप गवर्नमेंट से "इन दी भिसिनिटी" का मानी एक्सप्लेन करने को कहें और जब कोई एरिया भिसिनिटी में नहीं बचता है तो आप इस अमेंडमेंट को नामंजूर कर दें।

मेरा ख्याल है कि एक डेफिनिट एरिया के लिये कानून बनाना चाहिये। आप तीन मील का डेफिनिट एरिया तो रखते हैं लेकिन डरते हैं कि इसके बाहर भी केपिटलीस्ट्स मकान बनाना शुरू कर देंगे तो उन्हें आप कैसे रोकेंगे। मैं कहता हूं कि जब वे ऐसा करेंगे तो आप को अख्तियार है कि आप दूसरा बिल हाउस में लावें और जिस तरह चाहें उन्हें कन्ट्रोल करें। जो खतरा अभी पैदा नहीं हुआ है उसके लिये अभी से कानून बनाना मुनासिब नहीं है। अभी तीन मील का रेडियस बहुत काफी है। आगे चलकर अगर जरूरत होगी तो आप ऐक्ट को अमेंड कर सकते हैं। ऐक्ट को अमेंड करना आपके लिये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप का तो यह लॉ ऑफ नेचर है कि कोई ऐक्ट बगैर अमेंडिंग ऐक्ट के कम्प्लीट नहीं होता है। यह तो बिहार मिनिस्ट्रि का सेकेन्ड नेचर हो गया है और मेरा नेचर यह है कि जो गलती हो उसको एक्सपोज करें। इसलिये मैं कहूंगा कि हुकूमत का अमेंडमेंट बिल्कुल गैरजरूरी और गलत है और मेरा अमेंडमेंट जरूरत के मुताबिक है इसलिये इसको कबूल कर लेना चाहिये।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—अध्यक्ष महोदय, अमीन अहमद साहब ने जो बहस की है उसमें एक बात पर ध्यान नहीं दिया है। यहां तीन मील का रेडियस जो रखा गया है उसका विशेष कारण है। आज कल टी० बी० पेसेंट्स का नम्बर बहुत बढ़ गया है और जो लोग वहां जाते हैं जहां-तहां सेनेटोरियम के नजदीक प्राइवेट मकानों में ठहर जाते हैं। इसलिये यहां रखा गया है "सच अदर एरिया ऑर एरियाज इन दी भिसिनिटी ऑफ दी सेड सेनेटोरियम" ताकि लोग नजदीक में मकान नहीं बना सकें।

श्री सैयद अमीन अहमद—तो क्या "इन दी भिसिनिटी ऑफ दी सेड सेनेटोरियम" कहने से काम चल जायगा?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—जी हां। हो सकता है कि फिर भी अगर तीन मील के बाद कोई अन्लाइसेंस्ड बिलडिंग्स बनाना चाहे तो उसे रोका जा सके, इसी लिये यह अमेंडमेंट लाया गया है।

श्री सैयद अमीन अहमद—ऑन ए पॉइंट ऑफ इनफोरमेशन, सर, तब तो आप इसी तरह से बढ़ते-बढ़ते पटने पहुंच जा सकते हैं।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—ऐसी उम्मीद नहीं है। फिर भी यह अमेंडमेंड इसलिये लाया गया है ताकि फिर तुरन्त छः महीने के अन्दर ही फिर इस को अमेंड नहीं करना पड़े। आजकल बहुत लोग पैसा कमाने के लिये घर बना रहे हैं। इसीलिये यह अमेंडमेंट लाया गया है कि अगर ऐसी कंटिन्जेंसी एराइज करे तो उसको रोका जा सके। इसीलिए यह इलास्टिसिटी रखी गयी है। इसमें सिवा इसके कि कोई नजदीक में पैसा कमाने के लिये मकान नहीं बना सके और कोई औबजेक्ट नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद—मेरा अमेंडमेंट है :

That in sub-clause (2) of clause 1, the words "and to such area or areas as may be notified in the Official Gazette, from time to time by the State Government in this behalf" *be deleted*.

जनाब सदर, मुझे अफसोस है कि हमारे दोस्त एडुकेशन मिनिस्टर साहेब ने मेरे ज्योमेट्रिकल प्रोपोजीशन को रिफ्युट नहीं किया है। अब हम उन्हें "भिसिनिटी" का माने डीकश्नरी से पढ़ देते हैं। ठीक वक्त पर हमारे हाथ में डीकश्नरी भी आगई है। "भिसिनिटी" का माने है स्टेट ऑफ बीइंग नीर, नीयरनेस, प्रोपिन्क्यटी, नेबरिंग एरिया, एडजेसेंट "एडजेसेंट" का माने है समथिङ्ग भिन्न ऐडज्वायन्स। अब आप खुद सोचें कि इटकी सेनेटोरियम के भिसिनिटी में कौन एरिया होगा? वही होगा जो इटकी सेनेटोरियम से मिला हुआ हो। ऐक्ट एप्लाई करके इटकी सेनेटोरियम के बाद तीन मील का एरिया ले लिया गया है। इस में लिखा हुआ है :

"It shall apply to the areas comprised within a radius of three miles from the Itki Tuberculosis Sanatorium".

इस तरह से इटकी सेनेटोरियम के चारो तरफ तीन मील ले लिया गया है। आप के कहने के मुताबिक इसके भिसिनिटी में अब कोई एरिया नहीं बचा। अगर कोई इस एरिया से हट कर मकान बनावे तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं जब तक आप इस ऐक्ट को अमेंड नहीं करें। इस लिये इसको इस तरह से रहना चाहिये :

"That the Government may extend such area to 4, 5 or 6 miles by notification".

ऐसा रखते तो एक बात थी। यह तो कॉमन सेंस की बात है। आप के कहने के मुताबिक तो वहां कोई एरिया बचा ही नहीं है, फिर भी अगर आप उस एरिया को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट लाइये। मैं आपको बता देता हूं कि यह अमेंडमेंट इस तरह पर होगा :

"It shall apply to the areas comprised within a radius of three miles from the Itki Tuberculosis Sanatorium and this area may be extended from time to time by the State Government".

मगर यहां डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात आ जाती है और इस संम्बन्ध में हम ने जो कुछ दूसरे औकेजन में कहा था वह भी आ जाता है। ऐसी हालत में स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर नहीं है कि एरिया एक्सटेंड करने के लिये आपको ब्लैंक चेक दे दें। इसलिए इसको विथड्रा कर लेना ही अच्छा है। इस लिये आप इसे विथड्रा कर लें।

माननीय अध्यक्ष—आपके अमेंडमेंट को मान लें तो आपका काम हो जायेगा?

श्री सैयद अमीन अहमद—अगर ऐसा कर दिया जाय तो अच्छा होगा। मेरी तरफ से आपने इस बात को रख दिया और हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इसका ख्याल करेगी और हमारे अमेंडमेंट को मान लेगी और अपने अमेंडमेंट को विथड्रा करेगी। अगर वे चाहें तो अपने अमेंडमेंट को पास करवा सकते हैं मगर मैं लास्ट वार्निंग दे

देता हूं कि अगर कोई एतराज करेगा और कहेगा कि यह किस तरह का अमेंडमेंट है तो आप जवाब भी न दे सकेंगे। तमाम पब्लिक आप पर हमला करेगी कि इस तरह का अमेंडमेंट कैसे पास किया गया—जब कि इंग्लिस डिकश्नरी दिखा दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष—"सच अंदर एरिया ऑर एरियाज़ इन दी भिसिनिटी ऑफ दी सच एरियाज" रख दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री सैयद अमीन अहमद—ऐसा करने से इंग्लिश कम्पोजिशन भी इम्प्रूव कर जायगा और बात भी साफ हो जायगी।

माननीय अध्यक्ष—यदि आप मेरी कही हुई बात को मानते हैं तो अपना संशोधन पेश कर दें कि शब्द 'सिनेटोरियम' के बदले शब्द 'एरियाज' रखा जाय।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

मैंने जो प्रस्ताव किया है उसमें शब्द 'सेनेटोरियम' के बदले शब्द 'एरियाज' रखा जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा द्वारा प्रस्तावित संशोधन में शब्द 'सेनेटोरियम' के बदले शब्द 'एरियाज' रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

In sub-clause (2) of clause 1, the words "and to such area or areas as may be notified in the Official Gazette, from time to time by the State Government in this behalf" be *deleted*.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

In sub-clause (2) of clause 1, *for* the words "such area or areas" the words "such other area or areas in the vicinity of the said areas" be *substituted*.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १ इस सभा द्वारा यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष—खंड ३।

Shri SAIYID AMIN AHMAD: Sir, I beg to move:

That for sub-clause (1) of clause 3 of the Bill the following be *substituted* namely :—

"3. (1) The Sanatorium Local Authority shall consist of the following persons, namely :—

(*a*) the Deputy Commissioner of Ranchi, *ex-officio*.

(*b*) the Executive Engineer, Ranchi Division, *ex-officio*.

(*c*) the Superintendent of the Itki Sanatorium, *ex-officio*.

(*d*) two non-officials to be appointed by the State Government.

(2) The term of the office of the members of the Sanatorium Local Authority other than the *ex-officio* members shall be three years."

अभी जो क्लॉज है वह यह है:

"3. (1) The State Government may, by notification, establish a Sanatorium Local Authority to be called the Itki Tuberculosis Sanatorium Local Authority for the purpose of controlling the construction of buildings in the Sanatorium area and may, by a like notification, alter or vary the constitution of the said Sanatorium Local Authority.

(2) The notification aforesaid shall specify——

(*i*) the date from which it shall take effect;

(*ii*) the persons who shall be its members; and

(*iii*) the term of office of its members other than the *ex-officio* members, if any.

(3) The State Goverment shall appoint one of the members of the Sanatorium Local Authority to be its Chairman and another member to be its Secretary."

यानी अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लॉज ३ रखा गया है वह बिल्कुल भेग और इनडेफिनिट है। हमलोग एकदम नहीं जानते हैं कि वह अथोरिटी कैसी होगी। इस क्लॉज को अगर हमलोग इसी शक्ल में पास कर देते हैं तो इसका मानी यह होगा कि हम अपना लेजिस्लेटिव पावर गवर्नमेंट को दे देंगे जो हमलोगों को नहीं करना चाहिये। गवर्नमेंट जो चाहेगी जब चाहेगी निकाल देगी। इसलिए हमने इसको साफ कर दिया है।

जो ३ इनडिसपेंसिबुल ऑफिशियल्स हैं उनको रखा है। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं और यकीनी उनको रहना चाहिये। बिलडिंग्स बनाने की बात है इसलिए एक्जीक्यूटिव इंजिनियर को भी रहना चाहिये और सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ दी सेनेटोरियम को तो रहना ही चाहिये। अब २ नॉन-ऑफिशियल्स को दिया है क्योंकि तमाम नेबरहुड के रहने वाले किसान हैं और जरूरत इस बात की है कि पब्लिक की तरफ से भी देखने वाले रहें कि जो काम वहां होता है वह ठीक होता है या नहीं। गवर्नमेंट को इस अमेंडमेंट को मान लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

गवर्नमेंट के ड्राफ्टिंग का अजीब हाल है। बार-बार इस हाउस में मुझको इसकी शिकायत करनी पड़ती है। जनाब सदर, यह हमलोगों की खुशकिस्मती है कि आप हम लोगों के स्पीकर हैं और छान-बीन कर लेते हैं। नहीं तो मालूम नहीं कि हुकूमत हम-लोगों से क्या-क्या चीज पास करवा लेती। सेक्सन ३ में मेरे दोस्त कहते हैं कि एक सेनेटोरियम लोकल अथोरिटी बनाई जायगी ओन्ली फॉर दी परपस ऑफ कंट्रोलिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिलडिंग्स और अब जरा सेक्सन १२ को देखिये :

"No owner, lessee or occupier shall accommodate any tuberculosis patients for gain in any such building not licensed.

(2) The owner, lessee or occupier of any such building may apply to the Sanatorium Local Authority to license such bulding for accommodation of tuberculosis patients. "

तो सेनेटोरियम लोकल अथोरिटी के पास एप्लीकेशन देना होगा और वह अथोरिटी बनाई जाती है औनलि फौर दि परपस औफ कन्ट्रोलिङ्ग दि कन्सट्रकशन औफ बिल्डिङ्गस, हमारे दोस्त एडुकेशन मिनिस्टर साहब तैयार होकर आये हैं कि जो भी एमेंडमेंट मेरी तरफ से पेश होगा वह नहीं मानेंगे।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—एक-आध मान भी लेंगे।

श्री सैयद अमीन अहमद—नहीं आप मत मानिये : सेक्सन ३ में ये कहते है :

The Local Authority is only for the purpose of Controlling Construction of biuldings.

और सेक्सन १२ में कहते हैं—

Every body should apply to this Local Authority for accommodating tuberclosis patients.

यह दोनों कॉनफ्लिटिंग हैं। मेरे दोस्त अगर समझते हैं कि वह मेरा अमेंडमेंट मान लेंगे तो मुझको खुशी होगी और नहीं मानेंगे तो रंजिश होगी। यह बिल्कुल गलत है। हमारा काम यह बता देना है कि आपके सामने जो गड्ढा है उससे बचिये। अगर आप नहीं बचना चाहते हैं तो आप जानिये। अगर आप गिरना चाहते हैं तो शौक से गिरिये वह गड्ढा ऐसा है कि हमारे एडुकेशन मिनिस्टर साहब का सारा कपड़ा लद-फद हो जायगा।

सेक्सन ३ और सेक्सन १२ को रिकौन्साइल करने के लिये मैं हुकूमत को और उसकी पूरी लीगल मशीनरी को चैलेंज करता हूं। इस हाउस में हम को अपने अमेंडमेंट को मनवाने का शौक नहीं है। परपस को हमने नहीं रखा है सिर्फ कंस्टिट्यूशन ऑफ दी

सेनेटोरियम लोकल अथौरिटी को रखा है क्योंकि वही असल चीज है। परपस तो ऐक्ट में दिया हुआ है। जहां-जहां जिस चीज की जरूरत होगी एप्लाई करेगी। हमने जो अपना फर्ज समझा अदा किया। हुकूमत माने या नहीं माने।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—अमीन साहब के अमेंडमेंट में भी कुछ कमी रह जाती है। जो प्रॉवीजन अभी मौजूद है वह काफी इलास्टिक है लेकिन अमीन साहब के अमेंडमेंट को मान लेने से इस की इलैस्टिसिटी चली जायेगी। इसलिये यदि मैं एक संशोधन मूव कर दूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अमीन साहब का काम चल जायगा।

अमीन साहब के संशोधन में चैयरमैन और सेक्रेटरी के चुनाव का प्रॉवीजन नहीं है। यह भी एक दिक्कत की बात है। मेरा अमेंडमेंट है कि सब-क्लॉज (I) में सेनेटोरियम लोकल अथौरिटी के बाद शब्द "फौर कैरिंग आउट दि परपसेस ऑफ दि ऐक्ट" जोड़ दिये जाएं। इससे काम चल जायेगा।

श्री सैयद अमीन अहमद—मैं अपने दोस्त को सिर्फ यह बता देना चाहता हूं कि शायद उन्होंने मेरे अमेंडमेंट को गौर से नहीं पढ़ा है। मेरा अमेंडमेंट सब-क्लॉजेज (१) ऐंड (२) के लिये है और चैयरमैन और सेक्रेटरी से सब-क्लॉज (३) को ताल्लुक है जिसको मैंने इनटैक्ट छोड़ दिया है। इसलिये यह कहना कि मेरे अमेंडमेंट में लेक्यूना है गलत है।

माननीय अध्यक्ष—लेकिन आप ने सेनेटोरियम लोकल अथौरिटी को डिफाइन नहीं किया है कि वह क्या चीज है। आप को कहना चाहिये था

"The state Government may by notification constitute a Sanatorium Local Authority which shall consist of the following".

यह लेक्युना तो आप के अमेंडमेंट में है।

श्री सैयद अमीन अहमद—अगर यह जरूरी हो तो इसे भी रखा जा सकता है।

खैर, जब मेरे दोस्त ने खुद अमेंडमेंट पेश करने की ख्वाहिश जाहिर की है तो मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेलेने की इजाजत चाहता हूं।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

माननीय अध्यक्ष—अब माननीय मंत्री अपना संशोधन पेश करें।

The Hon'ble Shri BADRI NATH VERMA: Sir, I beg to move:

That in sub-clause (1) of clause 3 of the Bill, after the words "Sanatorium area" the following be added, namely "and for carrying out such other purposes as are hereinafter specified".

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ३ के उप-खंड (१) में शब्द "सेनेटोरियम एरिया" के बाद शब्द "ऐंड फोर कैरिंग आउट सच अदर परपसेज ऐस आर हेयिर-इन-आफ्टर स्पेसिफाइड" जोड़े जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

इस सभा द्वारा यथा संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३, यथा संशोधित, इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ४, ५, ६, ७ और ८ इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४, ५, ६, ७ और ८ इस विधेयक के अंग बने।

माननीय अध्यक्ष—खंड ९।

Shri SAIYID AMIN AHMAD: Sir, I beg to move:

That for sub-clause (2) of clause 9 of the Bill, the following be *substituted*, viz.,

"(2) If any direction given under clause (*b*) of sub-section (1) is not complied within the time specified in the notice, the Sanatorium Local Authority may apply to the Magistrate having jurisdiction for an order directing the demolition of the building or a part thereof at the cost of the Sanatorium Local Authority and recovery of the costs so incurred from the defaulter."

जनाब सदर, क्लॉज ९ को मेरे दोस्त ने इसलिए रखा है कि सेनेटोरियम लोकल अथोरिटी को अख्तियार देना चाहते हैं कि

"..............at any time, by notice in writing, direct the owner...............(*a*) to stop the erection or re-erection of any building, or (*b*) to demolish any building or part thereof within such time as may be specified in the notice.

इसके बाद सब-क्लॉज (२) में है :

"If any direction given under clause (*b*) of sub-section (1) is not complied with, within the time specified therefor in the notice, the Sanatorium Local Authority may have such direction carried into effect at its cost and have the amount thereof recovered from the defaulter in such manner as may be prescribed by the rules."

यानी सेनेटोरियम लोकल अथोरिटी को हक है कि नोटिस देने के बाद अगर नोटिस के मुताबीक काम नहीं हुआ तो खुद उसको तोड़वा दे और खर्च ले लें।

जनाब सदर, अब मिनिस्टर साहबान भी आपस में डिसकस करने लग गये हैं। यह मेरा प्वाएंट ऑफ आंडर है।

माननीय अध्यक्ष—जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तब माननीय मंत्रियों को उन्हें सुनने के लिए सावधान रहना चाहिए और माननीय सदस्यों को चाहिए कि वे अपने स्थान को छोड़कर माननीय मंत्रियों के पास जाकर न बैठें और उनका ध्यान न बांटें।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, इस अमेंडमेंट के बाद प्रोसिडिग्रोर के बारे में भी हमारा एक संशोधन है। अगर इसको माना जायगा तो फिर हम उसको पेश करेंगे, नहीं तो नहीं। वह प्रोसिडिग्रोर यह है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास कम्प्लेन कर दिया गया वे पार्टीज को सुनने के बाद जैसा मुनासिब और जस्ट समझेंगे, वैसा ऑर्डर दें देंगे। जुरिसप्रूडेंस का यह एक बहुत बड़ा प्रिंसिपुल है कि ऐक्यूज्ड को फैसला देने का अख्तियार न दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष—यह सिद्धान्त तो खंड ११ में है।

श्री सैयद अमीन अहमद—वहां तो एकजिस्टिंग बिलडिंग्स को तोड़ने की बात है और यहां नये बिलडिंग्स के बारे में है। मान लीजिये कि सेनेटोरियम लोकल अथोरिटी ने किसी के खिलाफ कम्प्लेन किया, तो फिर उस पर जजमेंट देने का पावर उसी कम्प्लेनिंग अथोरिटी को नहीं देना चाहिए। किसी इमपारशियल ऑफिसर के पास इस चीज को भेजना चाहिए। यहां सवाल यह है कि बिलडिंग्स के एक कोने को भी तोड़ देने से सारी बिलडिंग बिल्कुल बेकार हो जायगी। यह बहुत इम्पर्टेंट मैटर है और मैं समझता हूं कि सरकार इसको मान लेगी। प्रिंसिपुल ऑफ जस्टिस के ख्याल से इसे मान लेना चाहिए।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—इस अमेंडमेंट को मान लेने से दिक्कत बहुत बढ़ जायगी।

श्री सैयद अमीन अहमद—मगर इन्साफ होगा।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—इसमें इन्साफ नहीं होगा। आगे चलकर अपील का प्रोवीजन है। अगर कहीं कोई ऐसी बात हो जाय और आप समझते हैं कि वाजिब नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष—खंड १० में अपील और रिवीजन का प्रोविजन है।

"Any person aggrieved by any order passed under this Act by the Sanatorium Local Authority may appeal to the Deputy Commissioner who shall pass such orders thereon as he thinks fit."

सेक्शन १५ में रूल-मेकिंग प्रोविजन है।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—जितने प्रीकौशन्स की जरूरत थी सब इसके अन्दर है और प्रेजेन्ट म्युनिसिपल ऐक्ट वगैरह में इसी ढंग पर काम होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक एरिया के लिये यह ऐक्ट बनाया जा रहा है। इसमें अपील का भी प्रोविजन है। क्लॉज १० (२) में है :

The State Government, in its discretion, at any time, either of its own motion or on application, call for and examine the records of any order passed under this Act by the Sanatorium Local Authority or the Deputy Commissioner for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order, and may pass such orders in reference thereto as it thinks fit.

प्रोविज़न इसमें काफी प्रोटेक्शन का दिया गया है। कोई वजह नहीं है कि इससे आप समझें कि बेइन्साफी होगी। अमेंडमेंट मान लेने से काम में देर होगी और मुकदमा लड़ते रहेंगे।

श्री सैयद अमीन अहमद—मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्त आड़ ले रहे हैं उस पुराने ऐक्ट में जो १९२२ का है। उस वक्त जमाना नादिरशाही का था। हर आदमी पावर लेना चाहता था। उस वक्त की चीज को आज १९५१ में हमारे दोस्त ढो रहे हैं। दुनियां बदल गयी है। १९२२ में आप नहीं समझते थे कि आप मिनिस्टर होंगे और मैं भी नहीं समझता था कि मैं एम० एल० ए० हो सकूंगा। लेकिन आज दोनों के दोनों हो गए। यह १९२२ का ऐक्ट हमलोगों का बनाया हुआ नहीं है। हमारे दोस्त इसकी औथोरिटी कोट करते हैं। यहां प्रिंसिपुल का सवाल है। जो नोटिस देता है डिमोलिश करने का उसी को आप पावर देते हैं डिमोलिश कर देने का। अपील के पहले बिलडिंग टूट जायेगी तो अपील करेगा क्यों आपको अपने मजिस्ट्रेट पर कन्फिडेंस नहीं है। मजिस्ट्रेट आपका सब-ऑर्डिनेट है और आपके कहने के मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको आप डिस-मिस कर सकते हैं। हमने जुरिसप्रूडेंस के असूल पर अपना अमेंडमेंट दिया है। प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि किसी को यह खतरा न हो कि बेइन्साफी हो सकती है। अगर आप जुरिसप्रूडेंस के असूल पर जवाब देते तो मैं मान लेता लेकिन आप सिर्फ कहते हैं कि १९२२ के म्युनिसिपल ऐक्ट में इस तरह के प्रोविजन्स हैं इसलिए यहां भी रखा गया है। १९२२ के ऐक्ट को यदि आप मानते हैं तो कंस्टिट्यूशन को छोड़ दीजिये। सेनेटोरियम के लोकल बॉडी का मेम्बर डिप्टी कमिश्नर नहीं होगा कोई उसका सब-ऑर्डिनेट ही होगा जो उससे लोवर रैंक का अफसर होगा। डिप्टी कमिश्नर के यहां जो अपील होगी उसके लिये प्रोसिडियोर अभी ले डाउन नहीं किया गया है, वह पीछे होगा। मेरी हुकूमत से आखिरी अपील है कि वह मेरे अमेंडमेंट को माने या न माने लेकिन जो मेरे प्वाएंट्स हैं उनका जवाब जरूर दे। अगर जवाब नहीं देते हैं तो जुल्म होगा। मेरे दोस्त १९२२ के प्रिंसिपुल को मानते हैं। अगर यही प्रिंसिपुल इनका है तो मुझे आजकी प्रोसिडिंग्स जेनरल एलेक्शन के लिये रखनी चाहिए। अगर यह हुकूमत १९२२ की है तो इसकी जरूरत १९५२ में नहीं है।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—यह चीज १९२२ से ही आ रही है और इसके चलते आज तक कोई बेइन्साफी नहीं हुई है। इसके प्रोविजन भी इलास्टिक रखे गये हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कंस्टिट्युशन बदल कर नया बना दिया जाय और जितनी अच्छी पुरानी चीजें है उनको हटा दिया जाय तो इसका यही मतलब होगा कि हम वर्षों से पैर से चलते आ रहे हैं तो अब सिर से चलने लगें। १९२२ में अंग्रेजी जमाना था, इसलिए अंगरेजों की बनाई हुई सारी चीजें बदल दी जायें, यह मुनासिब नहीं होगा। जो अच्छी चीजें हैं उनको रखने में कोई नुकसान नहीं है। आप कहते हैं कि मजिस्ट्रेट पर कोई कंफिडेंस नहीं है कि वह जो आज ऑर्डर देगा वह कल तोड़ देगा। ऐसा आप क्यों समझते हैं हम तो उससे नीचे के अफसर पर विश्वास करना चाहते हैं।

अगर आप चाहते हैं कि कमिश्नर जैसा अफसर इसकी औथोरिटी रहे तो मैं इसको मानने को तैयार हूं। इसमें प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कागज मंगा कर ऑर्डर कर सकती है अगर कोई बेइन्साफी हुई है। इसलिए इस संशोधन की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

For sub-clause (2) of clause 9 of the Bill, the following be *substituted*, namely :—

"(2) If any direction given under clause (*b*) of sub-section (1) is not complied with, within the time specified in the notice, the Sanatorium Local Authority may apply to the Magistrate having jurisdiction for an order directing the demolition of the building or a part thereof at the cost of the Sanatorium Local Authority and recovery of the costs so incurred from the defaulter."

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ९ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष—खंड १०।

Shri SAIYID AMIN AHMAD: Sir, I beg to move:

That in sub-clause (1) of clause 10 *for* the words "Deputy Commissioner" the word "Commissioner" be *substituted*.

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

In sub-clause (1) of clause 10 *for* the words "Deputy Commissioner" the word "Commissioner" be *substituted*.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

इस सभा द्वारा यथा संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष—खंड ११।

श्री सैयद अमीन अहमद—

Sir, I beg to oppose clause 11.

जनाब सदर, यह एक अनोखा क्लॉज है जिसका कोई सरोकार इस बिल के साथ नहीं है। इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ अबजेक्ट्स ऐंड रिसन्स में जो दिया हुआ है वह चीज इसके किसी सेक्शन में नहीं है। कंस्ट्रकशन ऑफ बिलडिंग को कन्ट्रोल करने के लिये और टी० बी० पेशेंट के एकोमोडेशन को कन्ट्रोल करने के लिये इस क्लॉज को रखना चाहते हैं। जनाब सदर, अगर टी० बी० पेशेंट के रहने के लिये मकान बनाना होगा तो उसके लिये लाइसेंस की जरूरत होगी। लेकिन मान लीजिये कि अगर किसी को अपने रहने के लिये मकान बनाना है तो वैसी हालत में उसे क्या करना होगा यह इस बिल में नहीं है। हम कहते हैं कि इस किस्म के ऑर्डर के पीछे कोई रिजन नहीं है। जब लाइसेंस का पावर आपके हाथ में है तो आप जब चाहें रिफ्यूज कर दे सकते हैं। लेकिन आप मकान के ओनर्स को क्यों मजबूर कीजियेगा कि उन्होंने जो मकान अपने रहने के लिये बनाया है उसको तोड़ दिया जाय। जनाब सदर, असूलन यह चीज इन्साफ के खिलाफ है और इसको हटा देने से बिल के किसी प्रोविजन को नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरी चीज यह है कि अगर कोई मकान री-इरेक्ट करना चाहेगा या किसी ऐसे पेशेंट को एकोमोडेट करना चाहेगा तो इसके लिये उसको लाइसेंस की जरूरत होगी। इसलिए मेरे ख्याल में इस क्लॉज को हटाने से कोई नुकसान नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस मुनासिब बात को मान लेगी।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—जनाब सदर, इटकी सेनेटोरियम का एरिया तीन मील के रेडियस में रखा गया है। इटकी मौजे बहुत जमाने से, यानी इटकी सेनेटोरियम बनने के पहले से, कायम है। अब अगर सेक्शन ११ इसी शकल में रखा जाता है तो सारी बिलडिंग्स पर यकीनी नोटिस होकर रहेगी, क्योंकि वे मकानात पुराने तरीके के बने हैं। इससे तो बेहतर था कि आप पूरी बस्ती को एक्वार कर लेते और लोगों को कम्पेंसेशन देकर हटा देते। इस तरह राउन्ड एबाउट वे में जो आप करना चाहते हैं यह ठीक नहीं है। इसलिए हम इस चीज की मुखालिफत करते हैं।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज को रखने की जरूरत इसलिये है कि बहुत से मकानात ऐसे हैं जिनमें टी० बी० पेशेंट्स रहते हैं लेकिन वो ऐसे बने हुये नहीं हैं जैसा होना चाहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद—आप उनका लाइसेंस रोक दे सकते हैं।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा—रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो पैसा वे कमाते हैं वह खत्म हो जायेगा।

श्री सैयद अमीन अहमद—जरा सेक्शन १२ का भी मुलाहजा किया जाय। इसके सब-सेक्शन (६) में आपने यह रखा है कि :

"Every such license shall be in the prescribed form subject to the prescribed conditions".

आप जो चाहेंगे कंडिशन लिख देंगे।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—कंडिशन में वह चीज नहीं आती है। जो पुरानी विलडिंग्स हैं जिनमें पेसेंट्स रहते हैं उनके लिये प्रेस्क्राइब्ड फर्म में प्रेस्क्राइब्ड फीस के साथ ओनर्स लाइसेंस के लिये अप्लाई करेंगे। मंजूर करना या नहीं करना यह गवर्नमेंट का काम है। चूंकि पुराने मकानात हैं इसलिये उनमें स्ट्राक्चरल अल्टेरेशन के लिये ऑर्डर देना ही होगा। इसीलिये यह चीज साफ करके रखी गयी है और रेस्ट्रिकशन लगा दिया गया है कि "विथ दी प्रीवियस सेंक्शन ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट"। जो मकान बने हुये हैं उनको फिर से तोड़वाकर बनाने में नुकसान होगा इसीलिए यह क्लॉज रखा गया है कि इसके मातहत जो पुरानी विलडिंग्स हैं उनमें नेसेसरी अल्टेरेशन के लिये नोटिस दी जायगी।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ११ इस विधेयक का अंग बने।

सदस्यों ने अपनी-अपनी जगहों पर खड़े होकर मत दिया—

पक्ष में : ३७

विपक्ष में : १२।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १२ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १२ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष—आज का बचा हुआ काम कल लिया जायगा।

सभा बृहस्पतिवार, तिथि १० मई, १९५१ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गयी।

बि०स०मु० (ए०)एल०ए० १४६—५७५—मोनो—१०-९-१९५२—पी० नाथ